न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 7/2025

<u>उनवान</u>

किरणप्रकाश पिता लालु जाति भील निवासी टामटीया पाल ग्राम पंचायत टामटीया राठौड़ तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: प्रार्थी

<u>बनाम</u>

भूमिधारी तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 22.4.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि खाता संख्या 27 (नया), 22 (पुराना) के खसरा संख्या 2184 रकबा 0.36 हे., खसरा संख्या 2185 रकबा 0.14 हे., खसरा संख्या 2186 रकबा 0.25 हे., कुल किता 03 रकबा 0.75 हे. भूमि, पटवार हल्का टामटिया राठौड़ के मौजा टामटीयापाल तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा में स्थित है। प्रार्थी के उक्त वर्णित खाते की कृषि भूमि में लिपिकिय त्रुटि से प्रार्थी का नाम किरण पिता लालु और प्रकाश पिता लालु अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम किरणप्रकाश पिता लालु है। प्रार्थी के नाम से जारी जनआधार कार्ड एवं आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाता और अन्य समस्त दस्तावेजो में भी प्रार्थी का वास्तविक नाम किरणप्रकाश पिता लालु ही अंकित है। प्रार्थी द्वारा उक्त त्रुटि के सुधार हेतु कई बार राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस कारण प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नाम के संबंध में शुद्धिकरण हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश करना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थना–पत्र पैश हुआ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार अरथूना के नाम सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार अथूना द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मौजा टामटीयापाल की खाता संख्या 27 (नया), 22 (पुराना) के खसरा संख्या 2184 रकबा 0.36 हे., खसरा संख्या 2185 रकबा 0.14 हे., खसरा संख्या 2[illegible] रकबा [illegible].25 हे., कुल किता 03 रकबा 0.75 हे. भूमि, खातेदार किरण पुत्र लालु हिस्सा 1/2 [illegible] भील सा. नागजी खातेदार एवं प्रकाश पिता लालु हिस्सा 1/2 जाति भील सा. [illegible] खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी [illegible] में स्थानिय व्यक्तियों से पूछताछ कि जाने पर बताया गया कि किरण प्रकाश पिता लालु एक ही व्यक्ति है। साथ ही प्रार्थी का उच्च मा. कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र, बैंक आफ बडोदा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:27:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

शाखा, जौलाना की बैंक खाता की डायरी, पेनकार्ड तथा आधार कार्ड की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम किरणप्रकाश पिता लालु दर्ज है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रस्तुत जवाब, संलग्न दस्तातेज जिसमें प्रार्थी द्वारा वर्ष 1964 में उत्तीर्ण उच्च मा. कक्षा का प्रमाण–पत्र, बैंक आफ बडोदा शाखा, जौलाना की बैंक खाता की डायरी, पेनकार्ड, आधार कार्ड की प्रति तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थी के अन्य खाते की नकल खाता संख्या 28, इन सभी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी का सही नाम किरणप्रकाश है। पटवार हल्का टामटिया राठौड़ के मौजा टामटीयापाल की खाता संख्या 27 (नया) में दर्ज खातेदार किरण पिता लालु एवं प्रकाश पिता लालु हिस्सा 1/2, 1/2 के स्थान पर किरणप्रकाश पिता लालु किया जाना उचित है। अतः पटवार हल्का टामटिया राठौड़ के मौजा टामटीयापाल की खाता संख्या 27 (नया) में खातेदार का नाम किरण पिता लालु एवं प्रकाश पिता लालु की शुद्धि कर किरणप्रकाश पिता लालु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.05 2025 को सरे इजराय में सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.05.14 17:27:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner